



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 31, 2013/माघ 11, 1934

No. 278]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2013/MAGHA 11, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2013

क्र.आ. 300(अ).—यतः, मै. कर्नाटक बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जो कर्नाटक राज्य में एक निजी संगठन है, ने सिटी, फेस-3, जिला बंगलौर, कर्नाटक राज्य में बायोटेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 22 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1010(अ), द्वारा 37.49 हेक्टेयर क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया था;

और, यतः, मै. कर्नाटक बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने उपयुक्त विशेष आर्थिक जोन के सम्पूर्ण 37.49 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने दिनांक 08 अगस्त, 2011 को उपर्युक्त क्षेत्र को अनधिसूचित किए जाने हेतु अनुमोदित पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उन सभी बातों को छोड़कर जो उपरोक्त सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करती है ऐसे निरसन के पूर्व की गई हैं या किए जाने से निवारित की गई हैं।

[फा. सं. एफ. 2/561/2006-एसईजेड]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2013

S.O. 300(E).—Whereas, M/s. Karnataka Biotechnology and Information Technology Services (KBITS) had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Biotechnology at Electronic City, Phase III, Bangalore in the State of Karnataka;

And, Whereas, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had notified an area of 37.49 hectares at above location as Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1010(E), dated 22nd June, 2007;

And, Whereas, M/s. Karnataka Biotechnology and Information Technology Services (KBITS) has proposed to de-notify the entire area of 37.49 hectares of the above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for de-notification of above area on 8th August, 2011;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/561/2006-SEZ]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.